अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 474(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 **का**०आ0 1370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''हिंदुजा फाउंडेशन, हिंदुजा हाऊस,171,डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400018'' द्वारा "धर्म हिंदुजा मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 22 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "हिंदुजा फाउंडेशन, हिंदुजा हाउस,171,डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400018" द्वारा चलाई जा रही "धर्म हिंदुजा मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.10 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 104/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)